

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
19 सी, तुलसी गंगा काम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001

सूचना / विज्ञापित

पुलिस आरक्षी ना0पु0 के मृतक आश्रित के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक  
05-12-2018 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की पुर्ननिर्धारित  
तिथि 20-01-2019 को शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन

संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ0आ0(16)2018

दिनांक:जनवरी 11, 2019


1- सूचित किया जाता है कि बोर्ड की विज्ञापित संख्या:पीआरपीबी-एक-1-मृ0आ0(16)2018 दिनांकित 24-10-2018 के क्रम में सेवाकाल में दिवंगत कर्मियों के आश्रितों की मृतक आश्रित के अन्तर्गत पुलिस आरक्षी(मृतक आश्रित) भर्ती-2018 के अन्तर्गत दिनांक 5-12-2018 को आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में नियमानुसार प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर प्रतिभाग न करने वाले पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पद के 01 अनुपस्थित अभ्यर्थियों (सूची संलग्न) की शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 20-01-2019 को 4वीं वाहिनी, एस0एस0बी0, मोहनलालगंज, न्यू पुलिस लाइन्स, अपोजिट एसजीपीजीआई, कल्ली पश्चिम, लखनऊ में आयोजित की जायेगी।

2- शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु इन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट <http://uppbpb.gov.in/> पर दिनांक 15-01-2019 से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

3- दक्षता मूल्यांकन परीक्षा के अन्तर्गत सभी अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2015(यथासंशोधित) एवं शासनादेश संख्या-1569/6-पु0- 10-2016-1200 (68)/2016 दिनांक 19-10-2016 के प्राविधानों के अनुसार पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया एवं मानकों के अनुरूप शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के लिये पुरुष अभ्यर्थी को 4.8 कि0मी0 की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करेंगे, वे भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। पुर्ननिर्धारित नियत तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिये अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

4- संगत नियमावली में दिये गये प्राविधानों के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा की जायेगी जिसमें जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित पुलिस उपाधीक्षक तथा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी सदस्य होंगे। यथा आवश्यकता समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित किये जायेंगे।

5- शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए चयन सूची बनायी जायेगी। चयन सूची में स्थान न पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस पद की मृतक आश्रित भर्ती हेतु असफल घोषित किया जायेगा। चयन सूची पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी।

  
अपर सचिव (प्रोन्नति)  
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।

आरक्षी पुलिस पद के अन्तर्गत मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की सूची

क्र० सं०	मृतक आश्रित का नाम	मृत कर्मी का नाम	मृत्यु के समय नियुक्ति स्थान जनपद/ इकाई
1	YOGENDRA SINGH	LATE C LAL SINGH	HAMIRPUR